बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

444

का0आ0 / सै0क0नि0 / 11 / 03 / 2014 / 440 पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 11 /2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.7 में निहित निर्णय के आलोक में रक्षा संस्थान में मेधा के आधार पर चयनोपरांत आर्थिक अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसमें कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक एवं मृत सैनिक के विधवा के आश्रित पुत्रों/पुत्रियों जिनका चयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एन.डी.ए., आई.एम.ए., ओ.टी.ए. में हुआ है वैसे मेधावी छात्र को एकमुश्त आर्थिक सहायता 5000/– रू. को बढ़ाकर 50,000/–रू0 किया जाता है। साथ हीं कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक एवं मृत सैनिक के विधवा के आश्रित पुत्रों/पुत्रियों जिनका चयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा जैसे नेवी अकादमी, एयर फोर्स अकादमी एवं ए0एफ0एम0सी0, पुणे में भी हुआ हो को भी एकमुश्त 50,000/–रू0 आर्थिक सहायता दिया जायगा।

2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय "बिहार स्टेट एक्स–सर्विसमेन बेनेवोलेन्ट फंड" से किया जायेगा।

(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0 / 11 / 03 / 2014 / 440 / पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0 / 11 / 03 / 2014 / 440 / पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0 / 11 / 03 / 2014 / 440 / पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

दूरभाष/फैक्स-0612-2281016
ई–मेल–directorsknbihar@gmail.com

Scanned by CamScanner